छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक–303/2005

आदेश पारित किया गया दिनांक– 20/07/2005

गुलाब खान व अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

श्री वाई.सी.शर्मा, अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से काउंसेल।

श्री जे.डी.बाजपेई, शासकिय अधिवक्ता/ अतिरिक्त लोक अभियोजक।

अधिवक्ता श्री अनिल वालिया, न्यायमित्र के रूप में उपस्थित।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खंडपीठ

माननीय श्री फ़ख़रुद्दीन, न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री दिलीप देशमुख, न्यायमूर्ति

आदेश

(20.07.2005)

द्वारा– दिलीप देशमुख, न्यायमूर्ति,

1. सुना गया।

2. जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य के दो न्यायिक अधिकारियों ने दांडिक अपील संख्या 475/2002 (**गुलाब खान एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**) में इस न्यायालय द्वारा 7–3–2005 को पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों/अपिलार्थियों द्वारा प्रस्तुत जमानत को खारिज कर दिया है, उसने हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है, जिससे हमें स्वप्रेरणा पुनरीक्षण

शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि दांडिक अपील संख्या 475/2002 में दिनांक 7–3–2005 के आदेश के अनुसार इस न्यायालय ने गुलाब खान, शब्बीर उर्फ शब्बू और मिनाज खान को जमानत दे दी थी और निर्देश दिया था कि 9 मई, 2005 को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए 20,000/– रुपये की राशि एवं उतनी ही राशि के दो प्रतिभुओं के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उन पर लगाए गए मूल दंड के निष्पादन पर रोक लगी रहेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, अपिलार्थियों ने एक कंदाकू, पुत्र सुकालू, निवासी ग्राम भटपाल, पुलिस स्टेशन बसुर, तहसील और जिला दंतेवाड़ा और एक शेख नूरुद्दीन, पुत्र नैनुद्दीन, निवासी गीदम, पुलिस स्टेशन गीदम, तहसील और जिला दंतेवाड़ा की प्रतिभू प्रस्तुत की। प्रतिभूति बंधपत्र के साथ इन प्रतिभुओं के कब्जाधीन अचल संपत्ति से संबंधित एक शपथपत्र और अपिलार्थियों के लिए स्थायी प्रतिभू हेतु उनकी शोधन क्षमता को प्रमाणित करने के लिए ऋणपुस्तिका के रूप में दस्तावेज संलग्न थे।

5. 17–03–2005 को श्री एम.एस. केरकेट्टा, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार (जिसे आगे ए.एस.जे.–II कहा जाएगा) के समक्ष प्रतिभू प्रस्तुत किया गया। ए.एस.जे.–II ने अपिलार्थियों द्वारा प्रस्तुत जमानत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि दोनों प्रतिभू नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, जबकि विचारण बलौदा बाजार में चल रहा था और इसलिए, यदि अपिलार्थी/अभियुक्त व्यक्ति

उपस्थित नहीं होते या फरार हो जाते तो न केवल अभियुक्तों/अपिलार्थियों बल्कि प्रतिभुओं की भी तलाशी लेना कठिन हो जाता। चोट पर नमक छिड़कते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा टिप्पणी किया कि दोनों प्रतिभू नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए पुलिस बल भी न्यायालय के आदेशों का पालन करने की स्थिति में नहीं होगी और इसलिए, प्रतिभू को खारिज कर दिया।

6. दिनांक 2–6–2005 को, अभियुक्त/अपिलार्थियों ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 7–3–2005 के आदेश के अनुपालन में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार (जिसे आगे ए.एस.जे.–I कहा जाएगा) के समक्ष दो प्रतिभुओं, अर्थात शिव कुमार और भुनेश्वर, जो बलौदा बाजार के निवासी हैं, को प्रस्तुत किया। उनके प्रतिभूति बंधपत्र भी विधिवत रूप से एक शपथपत्र और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज के साथ समर्थित थे, लेकिन इस बार, अपिलार्थियों द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रतिभुओं को ए.एस.जे.–I ने 2–6–2005 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रतिभू ऋणशोधक्षम नहीं थे। प्रतिभू को अस्वीकार करने के आदेश में इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ए.एस.जे.–I द्वारा कोई भी ठोस कारण नहीं बताया गया।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकिय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बाजपेयी को सुना है।

8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441, जो अभियुक्तों और प्रतिभुओं के बंधपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है नीचे उद्धृत की गई है:

"441. **अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र–**

1. किसी व्यक्ति के जमानत पर छोड़े जाने या अपने बंधपत्र पर छोड़े जाने के पूर्व उस व्यक्ति द्वारा, और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा इतनी धनराशि के लिए जितनी, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, इस शर्त का बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में वर्णित समय और स्थान पर हाजिर होगा और जब तक, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश नहीं दिया जाता है इस प्रकार बराबर हाजिर होता रहेगा।

2. जहाँ किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की गई है, वहाँ बंधपत्र में वह शर्त भी अंतर्विष्ट होगी |

3. यदि मामले में ऐसा अपेक्षित है तो बन्धपत्र द्वारा जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को अपेक्षा किए जाने पर आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में हाजिर होने के लिए भी आबद्ध किया जाएगा।

4. यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रतिभू उपयुक्त या पर्याप्त है अथवा नहीं, न्यायालय शपथपत्रों को, प्रतिभुओं के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उनमें अन्तर्विष्ट बातों के सबूत के रूप में, स्वीकार कर सकता है अथवा यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो वह ऐसे पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में या तो स्वयं जाँच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जाँच करवा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441 की उपधारा (4) को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रतिभू

उपयुक्त या पर्याप्त है अथवा नहीं, न्यायालय शपथपत्रों को, प्रतिभुओं के पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में उनमें अन्तर्विष्ट बातों के सबूत के रूप में, स्वीकार कर सकता है अथवा यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो वह ऐसे पर्याप्त या उपयुक्त होने के बारे में या तो स्वयं जाँच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जाँच करवा सकता है।

10. जहां तक ए.एस.जे.–II द्वारा पारित दिनांक 17–03–2005 के आदेश का संबंध है, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई कि अपिलार्थियों के फरार होने की संभावना की स्थिति में पुलिस बल न्यायालय के आदेशों का पालन करने या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभियुक्तों/अपिलार्थियों या उनके प्रतिभुओं का पता लगाने की स्थिति में नहीं होगी। यह केवल ए.एस.जे.–II का अनुमान था, जिन्होंने अपनी कल्पना को बहुत दूर तक फैला दिया, जबकि वे संवैधानिक जनादेश से अनभिज्ञ थे कि भारत के भीतर प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने के लिए कोई भौगोलिक बाधा नहीं बनाई जा सकती है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **एआईआर 1978 एससी 1594** में प्रतिवेदित **मोती राम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी प्रतिभू को इसलिए अस्वीकार करना न्यायालय के अधिकार में नहीं है क्योंकि वह या उसकी संपत्ति किसी दूसरे जिले या राज्य में स्थित है। न्यायालय जिले से प्रतिभू मांगने में भौगोलिक भेदभाव को निर्धारित करने वाला कोई कानून नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की कंडिका 32 प्रासंगिक है जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

"32. चोट पर नमक छिड़कने के लिए, मजिस्ट्रेट ने अपने ही जिले से जमानत मांगी है। (हम याचिका के आरोप मानते हैं)। मलयाली, कन्नड़, तमिल या आंध्र को क्या करना चाहिए यदि उसे बस्तर, पोर्ट ब्लेयर, पहलगाम या चांदनी चौक में कथित दुर्विनियोग या चोरी या आपराधिक अतिचार के लिए गिरफ्तार किया जाता है? वह इन दूरस्थ स्थानों में संपत्ति के स्वामियों को प्रतिभू नहीं रख सकता है। हो सकता है कि वह वहां किसी को न जानता हो और वह किसी दल में या नौकरी की तलाश में या किसी मोर्चे में आया हो सकता है, भारतीय एकता का न्यायिक विघटन इस तरह की प्रांतीय एलर्जी से निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कौन सी विधि बाहरी या गैर–क्षेत्रीय भाषा के आधार पर प्रतिभुओं को निर्धारित करती है? कौन सी विधि न्यायालय जिले से जमानत मांगने में भौगोलिक भेदभाव को निर्धारित करती है? यह प्रवृत्ति कई रूप लेती है, कभी भौगोलिक, कभी भाषाई, कभी विधिक। अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र में सभी भारतीयों को भारतीय होने के नाते संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 भारत संघ में प्रयुक्त किसी भी भाषा में शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय सहित किसी भी प्राधिकरण में अभ्यावेदन का अधिकार प्रदान करता है। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य यह है कि किसी भी राज्य की भाषा में उस राज्य के कानून के अनुसार की गयी वकालत या प्रतिज्ञान भारत के हर क्षेत्र में स्वीकार की जानी चाहिए, सिवाय इसके कि वहाँ इसके विपरीत कोई वैध विधि विद्यमान हो। अन्यथा, एक आदिवासी और इसी तरह कई अन्य अल्पसंख्यक भी, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नहीं रहेंगे। न्यायिक शुरुआत को स्थिर करने और भारतीयों को उनकी अपनी मातृभूमि में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विदेशी बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए यह विस्थापन आवश्यक हो गया है। स्वराज एकजुटता से बनता है।"

12. ए.एस.जे.II का दृष्टिकोण और भी निराशाजनक है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा 7–3–2005 को दांडिक अपील संख्या 475/2002 में कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि अभियुक्त/अपिलार्थी स्थानीय प्रतिभू प्रस्तुत करेंगे। 7–3–2005 का आदेश यह था कि अभियुक्त/अपिलार्थी 9 मई, 2005 को उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए 20,000/– रुपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की संतुष्टि का प्रयोग तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए था न कि मनमाने तरीके से जैसा कि ए.एस.जे.–II ने किया था। ए.एस.जे.–II द्वारा 17–3–2005 को पारित प्रतिभुओं की अस्वीकृति का आदेश न केवल अपिलार्थियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का खंडन करता है बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रतिभू होने के अधिकार को भी निरस्त करता है। यह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रति घोर उपेक्षा भी दर्शाता है। जिस तरह से ए.एस.जे.–II ने प्रतिभू प्रस्तुत करने के प्रकरण में अपिलार्थियों के लिए भौगोलिक बाधा लगाई, वह इस न्यायालय द्वारा 7–3–2005 को दांडिक अपील संख्या 475/2002 में पारित आदेश का खंडन करता है। । यह ध्यान देने योग्य है कि ए.एस.जे.–II ने 17–3–2005 के आदेश में यह भी नहीं कहा था कि प्रतिभू दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441(4) के अनुसार पर्याप्तता की कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं। एक बार, अभियुक्त/अपिलार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभू को एक शपथपत्र और प्रतिभू की एक तस्वीर और प्रतिभू की शोधन क्षमता को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा समर्थित किया गया, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441, उप–धारा 4 में निर्धारित पर्याप्तता के कसौटी पर खरा उतरा और ए.एस.जे.–II के पास ऐसी प्रतिभू को अस्वीकार करने हेतु भौगोलिक बाधाएं पैदा करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार ए.एस.जे.–II द्वारा पारित आदेश न्याय की गंभीर विफलता का कारण बना है।

13. इसलिए, हम इसे स्वप्रेरणा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त प्रकरण मानते हैं। प्रथम दृष्टया, यह आदेश ए.एस.जे.–II द्वारा न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन करने के समान है और छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभियुक्त व्यक्तियों और प्रतिभुओं की तलाशी लेने में अक्षमता हेतु उपनामित भी करता है। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि छत्तीसगढ़ में पुलिस बल राज्य में विधि और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है। हम ए.एस.जे.–II द्वारा की गई टिप्पणियों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल को हतोत्साहित करते हैं। प्रतिभू गीदम और दंतेवाड़ा से जमानत देने आए थे और उन्होंने अपनी प्रतिभूति बंधपत्र, शपथ पत्र और अपनी अचल संपत्ति के बारे में वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. दिनांक 2–6–2005 को अभियुक्त व्यक्तियों ने ऊपर वर्णित दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत किया था। जब इन प्रतिभुओं को प्रस्तुत किया गया, तो ए.एस.जे.–I ने बिना कोई कारण बताए अत्यंत लापरवाही और मनमाने तरीके से उन्हें अस्वीकार कर दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441(4) के अनुसार, यदि प्रस्तुत प्रतिभू पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है, तो विद्वान न्यायाधीश को स्वयं जांच करने या न्यायालय के अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से जांच करवाने का अधिकार है। वर्तमान

प्रकरण में, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे पता चले कि ऐसी कोई जांच की गई थी। ए.एस.जे.–। ने यह भी नहीं बताया कि वह कमी क्या थी, जिसके लिए प्रतिभुओं को अक्षम या अयोग्य करार दिया गया। ए.एस.जे.–। का दृष्टिकोण मनमानेपन की दुर्गंध प्रसारित करता है और अपिलार्थियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है।

15. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधियों के अनुसार, ए.एस.जे.–।। तथा ए.एस.जे.–। द्वारा पारित दिनांक 17–3–2005 तथा 2–6–2005 के आदेशों को क्रमशः निरस्त किया जाता है। कार्यालय को मूल क़ागज़ात विचारण न्यायालय को वापस भेजने का निर्देश दिया जाता है। उक्त क़ागज़ात की फोटोकॉपी इस अभिलेख में रखी जाए। विचारण न्यायालय, हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, इस प्रकरण में विधि अनुसार सख्ती से आगे बढ़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इस स्तर पर, अभियुक्तों/अपिलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7–3–2005 के आदेश के अनुसार अभियुक्तों/अपिलार्थियों की उपस्थिति के लिए दी गई तारीख (9–5–2005) बीत चुकी है, इसलिए एक नई तारीख दी जाए। तदानुसार, जमानत प्रस्तुत करने के पश्चात अभियुक्तों/अपिलार्थियों की विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की तिथि अब 28 नवम्बर, 2005 तथा उक्त न्यायालय द्वारा उन्हें दी जाने वाली अन्य तिथियों पर निर्धारित की जाती है।.

17. विदा लेने से पूर्व, हम इस प्रकरण में न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए श्री अनिल वालिया, अधिवक्ता द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

सही/–
फ़ख़रुद्दीन
(न्यायाधीश)

सही/–
दिलीप देशमुख
(न्यायाधीश)

(अधिवक्ता अभिषेक पांडे द्वारा अनुवाद किया गया)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur